(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1800–दो/2016 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2016 पारित द्वारा अधीक्षक, भू अभिलेख प्रबंधन, सतना – प्रकरण क्रमांक 16 अ–12/15–16

भीम सिंह पुत्र स्व. लाल महेन्द्र प्रताप सिंह
ग्राम कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती अजीजुननिशा पत्नि इनायत खॉ
2– अब्दुल मुत्तलिक
3– अब्दुल मतलूब खान पुत्र इनायत खान
निवासीगण साकिल माधवगढ़ तहसील
रघुराजनगर जिला सतना मध्य प्रदेश --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 1 -9-2017 को पारित)

यह निगरानी अधीक्षक, भू अभिलेख प्रबंधन, सतना के प्रकरण क्रमांक 16 अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 30–5–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने अधीक्षक भू अभिलेख सतना को आवेदन देकर उनके नाम की आराजी क्रमांक 1252/2–क/3, 1252/1–क/4 एंव 1252/2–क/3 के सीमांकन की प्रार्थना की। अधीक्षक भू अभिलेख ने प्रकरण क्रमांक 16 अ–12/15–16 पॅजीबद्व किया तथा पत्र दिनांक 1–5–15 से राजस्व निरीक्षक को सीमांकन के निर्देश दिये। राजस्व निरीक्षक

द्वारा पटवारियों के दल के साथ दिनांक 18-5-15 को मौके पर सीमांकन किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन के अधिकार राजस्व निरीक्षक को प्राप्त होने के आधार पर अधीक्षक, भू अभिलेख प्रबंधन, सतना के प्रकरण क्रमांक 16 अ-12/15-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-5-2016 से सीमांकन को अंतितमा प्रदान करने वावत् आदेश पारित करने हेतु प्रकरण राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना को अंतरित किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमों में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदकगण द्वारा अधीक्षक भू अभिलेख सतना को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर से दिनांक 25-4-2015 प्रकरण प्रारंभ हुआ है तथा आवेदनकर्ताओं की भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक के दल ने दिनांक 18-5-15 को किया है । सीमांकन पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की है जिस पर अधीक्षक भू अभिलेख की आर्डरशीट दि. 5-10-15 इस प्रकार है-

" सीमांकन प्रकरण में आपत्तिकर्ता भीमसिंह S/O स्व. लाल महेन्द्र सिंह निवासी गढ़ी कृपालपुर जिला सतना म.प्र. द्वारा आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर तरमीम के अभाव में सीमांकन आवेदन पत्र एंव जांच के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन एंव नजरी नक्शा निरस्त किये जाने हेतु लेख किया गया है जिसमें जवाव हेतु दिनांक 14-10-15 नियत है।"

प्रस्तुत आपत्ति पर विचार करते हुये सुनवाई उपरांत दिनांक 14-10-15 को अधीक्षक भू अभिलेख ने आर्डरशीट में निम्नानुसार अंकित किया है :-

" गठित टीम द्वारा मौके से सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई जिससे प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा एंव सूचना की पुष्टि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, बल्कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में चाहे गये मार्गदर्शन के आधार पर पुनः सीमांकन किये जाने के संबंध में टीम गठित किया जाना उचित प्रतीत होता है जिसके संबंध में आपत्तिकर्ता भीमसिंह एंव अभिषेख तिवारी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को भी विचार में लिया जाकर गठित टीम को निम्न निर्देशों के अंतर्गत सीमांकन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

राजस्व निरीक्षक सतना प्रथम, हेमन्त सिंह हलका पटवारी कोलगवां, रामसुजान शुक्ला पटवारी , अजय सिंह पटवारी का दल गठित कर पुर्नसीमांकन कराया गया। इस संयुक्त टीम ने सीमांकन करके दिनांक 10-5-2016 को सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एंव सीमांकन की प्रति आपत्तिकर्ता को जवाव प्रस्तुत करने हेतु दी गई। आगामी पेशी 27-5-16 को आपत्तिकर्ता ने उत्तर प्रस्तुत किया, तदुपरांत अधीक्षक, भू अभिलेख प्रबंधन, सतना ने प्रकरण क्रमांक 16 अ-12/15-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-5-2016 से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन के अधिकार राजस्व निरीक्षक को होने से सीमांकन को अंतितमा प्रदान करने वावत् आदेश पारित करने हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना को प्रकरण अग्रेषित कर दिया और राजस्व निरीक्षक सतना ने आदेश दिनांक 8-6-2016 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। इस प्रकार अधीक्षक भू अभिलेख सतना एंव राजस्व निरीक्षक व्दारा लिये गये निर्णय में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है।

5/ अधीक्षक, भू अभिलेख प्रबंधन, सतना के प्रकरण क्रमांक 16 अ-12/15-16 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक ने कलेक्टर सतना को आवेदन दिनांक निल प्रस्तुत करते हुये (जिस पर किसी पीठासीन अधिकारी के मौसूदा डाले जाने के दिनांकित हस्ताक्षर भी नहीं है) अधीक्षक भू अभिलेख के यहां से प्रकरण तहसीलदार रघुराजनगर को अंतरित किये जाने की प्रार्थना की है जिस पर कलेक्टर सतना ने पत्र दिनांक 20-6-16 से तहसीलदार रघुराजनगर को निर्देश दिये है । तहसीलदार रघुराजनगर ने पत्र दिनांक 29-6-16 से अधीक्षक भू अभिलेख का मूल प्रकरण 16 अ-12/15-16 (राजस्व निरीक्षक व्दारा दर्ज किये जाने का नंबर 67 अ-12/15-16) संलग्न कर बताया है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 8-6-16 को सीमांकन की पुष्टि की जा चुकी है। तदुपरांत कलेक्टर सतना ने आर्डरशीट दिनांक 17-10-16 से निम्नानुसार निर्णय लिया है :-

" चूँकि आवेदक व्दारा अधीक्षक भू अभिलेख भू प्रबंधन व्दारा प्रचलित सीमांकन की कार्यवाही से परिवेदित होकर प्रकरण अंतरित किये जाने का अनुरोध किया गया था। इस प्रकार से राजस्व निरीक्षक के व्दारा की गई सीमांकन पुष्टि की कार्यवाही उचित एंव न्यायपूर्ण नहीं है। अतः राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 8-6-16 निरस्त की जाती है। "

कलेक्टर सतना का उक्तानुसार निर्णय अधिकार-विहीन है क्योंकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 सहपठित धारा 50 के अंतर्गत सीमांकन आदेश को पुष्टिकृत करने अथवा निरस्त करने की शक्तियाँ कलेक्टर में वेष्ठित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में पाया गया कि अधीक्षक भू अभिलेख के मूल प्रकरण 16 अ-12/15-16 (राजस्व निरीक्षक द्वारा दर्ज किये जाने का पुर्ननंबर 67 अ-12/15-16) में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 8-6-16 से सीमांकन के पुष्टिकरण वावत् जारी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी नहीं है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 8-6-16 अंतिम है। यह निगरानी अधीक्षक, भू अभिलेख प्रबंधन, सतना के प्रकरण क्रमांक 16 अ-12/15-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-5-2016 के विरूद्ध है, जिसमें की गई कार्यवाही के परीक्षण पर पाया गया है कि अधीक्षक भू अभिलेख जब राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये प्रथमवार के सीमांकन से संतुष्ट नहीं हुये, उन्होंने राजस्व निरीक्षक एंव तीन पटवारियों का दल गठित कर पुर्नसीमांकन कराया है एंव आपत्तिकर्ता आवेदक को बार-बार सुनवाई का अवसर दिया है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक, भू अभिलेख प्रबंधन, सतना के प्रकरण क्रमांक 16 अ-12/15-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30-5-2016 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर